FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम (SDO) चाकसू

माइ देवी बनाम रुगाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व 88 RT Act नं. 149/2020 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/08/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री हरिराम चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/09/2020 को पेश हो। प्रतिवादीगणों के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये जाकर पत्रावली मिसल दिनांक 29/09/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) चाकसू	
29/09/2020	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन पूर्व के जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको 30 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री जगदीश गोदारा द्वारा अण्डर टेकिंग व प्रतिवादी संख्या-9 की ओर से वकील श्री घीसाराम जाखड़ द्वारा अण्डर टेकिंग ली गई शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 PM पर लगाई गई प्रतिवादी संख्या-2 से 8 व 10, 11 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ जिसपर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रतिवादी संख्या के जवाब हेतु दिनांक 21/10/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) चाकसू	Undertaking by Me Wakeel ... वि.सं. 1 Undertaking प्रतिवादी सं 9 [signature]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:48:03 IST
Reason: SelfAttested

वादीनी
माडू देवी पुत्री रूगाराम पत्नी आदूराम जाति जाट निवासी मेहरों की बस्ती तहसील व [illegible] बाड़मेर

21/10/2020

वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री जगदीश गोदारा द्वारा वकालतनामा मय ईकबाली जवाबदावा पेश किया गया तथा वादिनी व प्रतिवादी संख्या-1 के द्वारा राजीनामा उपस्थित होकर पेश किया गया एवम् वादिनी की ओर से साक्ष्य के रूप में PW-1 - माडूदेवी पुत्री रूगाराम पत्नी आदूराम जाति जाट निवासी - जुनेजो मेहरों की बस्ती तह० व जिला - बाड़मेर का पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-9 के अधिवक्ता वकालतनामा व जवाब पेश नहीं करना चाहते है। प्रतिवादी संख्या-9 का जवाब बन्द किया जाता है। वादिनी व प्रतिवादी संख्या-1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त विवादित आराजी पैतृक साबित होती है। लिहाजा वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]

अ०नि० माडूदेवी

(वादीवकील

अ०नि० रुगाराम
(प्रतिवादी सं० 1
वकील

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:48:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 149 / 2020

वादीनी — **बनाम** — **प्रतिवादी**

1. माडू देवी पुत्री रूगाराम पत्नी आदूराम जाति जाट निवासी जुनेजो मेहरों की बस्ती तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

1. रूगाराम पुत्र किस्तुराराम
2. हिमताराम पुत्र किस्तुराराम
3. लिछमणाराम पुत्र किस्तुराराम
4. मंगलाराम पुत्र किस्तुराराम
5. कुनणी पत्नी चिमाराम
6. गोमाराम पुत्र चिमाराम
7. नखताराम पुत्र चिमाराम
8. मूलाराम पुत्र चिमाराम
9. विरधाराम पुत्र प्रभुराम
10. खेताराम पुत्र देवाराम
11. भीयाराम पुत्र देवाराम फौत के कायम मुकाम
    11/1. मालाराम पुत्र भीयाराम
    11/2. दली पुत्री भीयाराम
    जातियान् जाट निवासी नवलदेव की छतरी, चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर
    11/3. भीखी पुत्री भीयाराम पत्नी रेखाराम जाति जाट निवासी भाडखा तहसील व जिला बाड़मेर
12. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक कवास
13. शाखा प्रबंधक आर.एम.जी.बी. बाटाडू

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा ८८, 40, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री भोमाराम चौधरी वकील वादीगण
2. श्री कुम्भसिंह चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 1

–: निर्णय :– **दिनांक 21.10.2020**

वादीनी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 91 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा नवलदेव की छतरी पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 42, 43, 49 रकबा क्रमशः 0.2832, 13.9148, 0.267 हैक्टेयर की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि वादीनी के परदादा मोतीराम के खातेदारी की थी तथा वादीनी के परदादा मोतीराम के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा मोतीराम की मृत्यू होने पर उनके पुत्र देवा, किस्तुरा पुत्र मोती व विरधा पुत्र प्रभु का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। किस्तुराराम की फौत होने पर उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:48:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

पुत्रों रूगा, हिमथा, लिछमणा, मंगला का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीनी की पैतृक भूमि है और वादीनी अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उत्तराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीनी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीनी अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीनी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने की अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीनी वकील द्वारा साक्ष्य के रूप में वादीनी स्वयं का शपथ पत्र PW 1 पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगनी को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। शेष प्रतिवादीगण के विरूद्व बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीनी के परदादा मोतीराम के कब्जे काश्त की थी तथा वादीनी मोतीराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीनी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीनी की सहखातेदार घोषित करवाने की अधिकारी है।

अतः वादीनी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र व प्रतिवादीगण संख्या 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा नवलदेव की छतरी पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 42, 43, 49 रकबा क्रमशः 0.2832, 13. 9148, 0.267 हैक्टेयर में वादीनी को प्रतिवादी संख्या 1 के 1/12 हिस्से के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:48:03 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादी**

माडूदेवी रूगाराम वगैरा

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–149 / 2020. **निर्णय दिनांक :–** 21/10/2020

वादीनी की ओर से वकील श्री भोमाराम चौधरी व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21.10.2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीनीग का वाद व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर मौजा नवलदेव की छतरी पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 42, 43, 49 रकबा क्रमशः 0. 2832, 13.9148, 0.267 हैक्टेयर में वादीनी को प्रतिवादी संख्या 1 के 1 / 12 हिस्से के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगी। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 21.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(हस्ताक्षर) विवेक व्यास

(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:48:03 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

वादीनी

1. माडू देवी पुत्री रूगाराम पत्नी आदूराम जाति जाट निवासी जुनेजो मेहरों की बस्ती तहसील व जिला बाड़मेर

प्रतिवादी

1. रूगाराम पुत्र किस्तुराराम
2. हिमताराम पुत्र किस्तुराराम
3. लिछमणाराम पुत्र किस्तुराराम
4. मंगलाराम पुत्र किस्तुराराम
5. कुनणी पत्नी चिमाराम
6. गोमाराम पुत्र चिमाराम
7. नखताराम पुत्र चिमाराम
8. मूलाराम पुत्र चिमाराम
9. विरधाराम पुत्र प्रभुराम
10. खेताराम पुत्र देवाराम
11. भीयाराम पुत्र देवाराम फौत के कायम मुकाम

    11/1. मालाराम पुत्र भीयाराम

    11/2. दली पुत्री भीयाराम

    जातियान् जाट निवासी नवलदेव की छतरी, चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर

    11/3. भीखी पुत्री भीयाराम पत्नी रेखाराम जाति जाट निवासी भाडखा तहसील व जिला बाड़मेर
12. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक कवास
13. शाखा प्रबंधक आर.एम.जी.बी. बाटाडू

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:48:03 IST
Reason: SelfAttested